झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः—2 / पी०एम०सी० / आवंटन—45 / 2008 (P-I)...../राँची, दिनांकः .....
.....

प्रेषकः

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड,
पो० हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः— **विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017—18 में समय—समय पर आयोजित बैठक सम्मलेन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यो के लिये ₹40,00,000/- (चालीस लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश — **स्वीकृत।**

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, कृषक जागरूकता अभियानों एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की तकनीकी क्षमता बढाने के उद्देश्य से वर्ष 2017—18 में एक निश्चित अन्तराल पर प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है। साथ ही विभाग में उत्कृश्ठ कार्यो के लिए मूल्यांकन (Evaluation) के आधार पर पदाधिकारियों को पुरस्कृत / प्रशस्ति पत्र दिये जाने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर—सरकारी शिक्षण संस्थानों / संगठनों, CADWM एवं सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये भी राशि का भी प्रावधान किया गया है। कृषकों / जल उपभोक्ता संघों के सदस्यों को बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्रावधान भी इसमें शामिल है। साथ ही, जल संसाधन परियोजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, रूपांकण, निर्माण, संपोषण, अनुश्रवण एवं निर्मित योजनाओं का इभेल्यूएशन कार्य में बी०आई०एस० कोड तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकाशनों की पुस्तकों का उपयोग करने हेतु विभिन्न मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्र के लिये इनकी खरीद की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त सी०पी०एम०पर्ट, जल विज्ञान, GIS, जलीय संरचनाओं का रूपांकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि से संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टेवयर (STADD. PRO, Auto CAD, Arc GIS) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखण्ड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन तथा राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करने की भी

2. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष–69–प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में भारित होगा।

3.(क) जिस क्षेत्र के लिए राशि की निकासी होगी उसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता, नियंत्री पदाधिकारी होंगे। वर्ष 2017–18 में वर्णित कार्यो हेतु OSP शीर्ष में स्वीकृति एवं बजट प्रावधान होने तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची के तत्वावधान में वर्णित आयोजनों के लिए राशि की निकासी समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची अथवा गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची के माध्यम से होगी।

(ख) इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर–महागामा/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची होंगे। राशि की निकासी प्रमण्डल से संबंधित क्षेत्र के कोषागार से होगी। संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा अधियाचित किये जाने पर, किसी प्रमण्डल विशेष (TSP) से भी संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जा सकेगी।

4. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. वितीय वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में ₹40.00 लाख (चालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध है।

6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– **राँची, दिनांक –.**

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०–परिशिष्ट–I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी/उप– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस डोरण्डा, राँची, झारखण्ड/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढवा/देवघर/राँची/जमशेदपुर/हजारीबाग/उप– कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/तेनुघाट, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल भवन, डोरण्डा, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर / ईचा–गालूडीह/ चांडिल /हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, जमशेदपुर/सिंचाई अंचल जसीडीह, शिविर–देवघर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर–महागामा/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उतरी छोटानागरपुर, प्रमण्डल हजारीबाग/संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता (मो०)–1, 2 एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–1/2/3/4/5/6/7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2 / पी॰एम॰सी॰ / आवंटन–45 / 2008 (P-I)– 10/17-18 प्र॰ह॰ राँची, दिनांक 24.05.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

24/5/17

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

24/05/17

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में समय-समय पर आयोजित बैठक सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यो का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :

I. **जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन, इत्यादि पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण का आयोजन :**

जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन विषय पर राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा समय-समय पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित कर विभागीय अभियंताओं एवं कृषकों तथा जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों को इस क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराने के साथ-साथ इनके तकनीकी क्षमता का विकास एवं क्षमता संवर्द्धन करना है।

II. **विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संस्थानों द्वारा आयोजित वर्कशॉप / प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क के साथ-साथ सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों / संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये राशि का प्रावधान :**

राज्य, राज्य से बाहर विदेशों में विशिष्ट संस्थानों द्वारा सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क लिया जाता है। विभागीय अभियंताओं / पदाधिकारियों तथा क्षेत्र में कृषकों एवं जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों को इन गतिविधियों में उनके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने तथा क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों / संगठनों, CADWM, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है।

III. **जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक का आयोजन :**

विभाग द्वारा आंतरिक समीक्षात्मक बैठक, दामोदर घाटी जलाशय संचालन समिति, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं अन्य संस्थाओं संस्थाओं के साथ जल संसाधन के विकास, इसके प्रभावकारी उपयोग एवं जल बंटवारा से जुड़े मुद्दों पर समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में राज्य, राज्य से बाहर एवं विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है।

IV. **पुरस्कार /प्रशस्ति पत्र** :

विभाग में मूल्यांकण के आधार पर अभियंताओं, अधिकारियों, कृषको, जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों इत्यादि को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र का भी प्रावधान किया गया है।

V. **जल संसाधन विभाग द्वारा व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन** :

जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं की दक्षता, कार्यप्रणाली एवं उनके कार्य करने की योग्यता का आकलन करने हेत प्रत्येक वर्ष विभागीय स्तर पर दो बार व्यवसायिक एवं विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

VI. **बी०आई०एस०कोड तथा तकनीकी पुस्तकों की खरीद** :

जल संसाधन के विकास एवं नदी घाटी योजनाओं पर आधारित बी०आई०एस०कोड की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी तथा इसके अद्यतन संस्करण की खरीद सी०बी०आई०पी० तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित जल संसाधन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन तथा वन एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी पुस्तकों की खरीद एवं संधारण।

VII. **एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद एवं रख-रखाव** :

जल विज्ञान, GIS, CPM & PERT, जल संसाधन संरचनाओं का रूपांकण, चित्राकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि का संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (STADD. PRO. Auto CAD, Arc GIS etc) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखण्ड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन एवं उसके अन्तर्गत पड़ने वाले जल संसाधन परियोजनाओं का टोपोशीट के सॉफ्ट कॉपी पर इन परियोजनाओं का स्थल, कैचमेंट तथा कमाण्ड एरिया को चिन्हित कर राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करना, जल संसाधन योजनाओं के निर्माण, सम्पोषण अनुश्रवण एवं निर्मित योजनाओं के मुल्यांकण में उपयोग किया जाना है। उपरोक्त वर्णित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के उद्देश्य से इसके खरीद, Installation एवं रख-रखाव (AMC) करने की योजना है।